

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

गुंन 02/18 तारीख रज 5-1-18

उपवान - बाबू लनाम भगवान सिंह वगैरेश्वर देव लेन

प्रार्थना पत्र आस्थापीनिषद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मोहनदास सिंह शर्मा एडवोकेट जी प्रार्थना पत्र आस्थापीनिषद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTA Act के तहत पेश किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थीजनों को जोर से नोटिस देकर रजिस्टर्ड स.प से तलाब कर दिनांक 29-1-18 को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

147-54
2-1-18

29-1-18

प्रार्थी वकील अ.प्रार्थी नं. 8 कसबूद रूपना उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एड पक्षीय कार्यवाही की जाती है अ.प्रार्थी नं. 17 पक्षी ओर से श्री सुरेश चंद्र शर्मा A.M. उपस्थित हुए अ.प्रार्थी नं. 5, 6 के समान विधिवत तामील नहीं हुए अ.प्रार्थी वकील प्रतिवादी नं. 5, 6 के रजि. नोटिस तालपाना पेश कर तालवी कोर्ट दि. 23.2.18 को पेश हो।

170 पक्षी कोर्ट
उपस्थित
29.1.18

18 वकूलाय उपस्थित/पीएसन अधिकारी चुनारु कामी केपरी पक्षी है। अतः पत्रावली गतादिनांक दिनांक 15-3-18 को पेश हो।

15-3-18 वकूलाय उप. जतादेरिका की पालना हेतु दि. 5-4-18 को पेश हो।

5-4-18 वकूलाय उप. तालपाना पेश करने, जसब व कालतनामा पेश करने दिनांक 26-4-18 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोंडा

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|----------|---|
| 26.4.18 | <p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली ज़ीडिंग में पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 18.5.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> |
| 18.5.18 | <p>पत्रावली अदालत शिवावर देवलेन में पेश हुई। आइन्दा दिनांक 17.7.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> |
| 30-7-18 | <p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पड़विल है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10-8-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> |
| 10-8-18 | <p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी उमराव कामेविल है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 14.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> |
| 14.9.18 | <p>वकुलाय उप/वादी वकील अर्थात् नं. 5, 6, 7 के रजि. नं. समान निरिस्त तलवना पेशके अर्थात् वकील कजालतनामा वजबाब पेशके पत्रावली कि 20.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी टोंडाभीम, करौली (राज०) </p> |
| 26.10.18 | <p>जनरल पेशीसे पेश हुई। अर्थात् वकील उपस्थित नहीं है कंडिशन इलाज दिलवाइ कि अर्थात् वकील उप नहीं है अतः पह अर्थात् पत्र अदम हाजिरी एवं अदम पेशी में खारिज किया जाता है पत्रावली कैलल शुमार होइ। गभर से कम लोक दाया पत्रावली के साथ लैलन के।</p> <p style="text-align: right;"> उप जिला कलक्टर टोंडाभीम (करौली) </p> |

